

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

हाथरस।

सेवा में,

प्रबन्धक

दिल्ली पब्लिक स्कूल,

मथुरा रोड, हाथरस।

पत्रांक : 15792-93 /2015-16 दिनांक : 31.03.2016

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) की नवीन अस्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र।

महादेय/महोदया,

आपके तारीख 18.07.2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, हाथरस जनपद- हाथरस। (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अनंतिम अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।


उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2)


क

उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।



5. सौसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।



4



6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - क. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - ख. किसी भी बालक का शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
 - ग. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - घ. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - ङ. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता/ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - च. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - छ. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - ज. अध्यापक स्वयं को किसी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
9. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
10. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय पृवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
11. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।



12. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
13. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सुनिश्चित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए पत्र अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
14. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जाए।
15. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
16. विद्यालय में अनियमितता पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।



(देवेन्द्र गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस।

पृ.सं./

/2015-16/

दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड/नगर क्षेत्र
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हाथरस, जनपद - हाथरस को सूचनाई

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस।

